

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

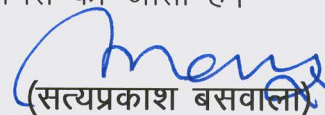
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:— एफ. 6(1)(1)/पंचा/रानिआ/2014/8800

दिनांक:— 22.11.2014

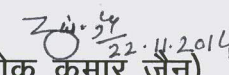
आदेश

पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2015 के लिये आयोग के पत्र क्रमांक एफ 6(1)(1)/पंचा/रानिआ/2014-15/8175 दिनांक 17.11.2014 द्वारा मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की तिथि 24.11.2014 नियत की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रस्तुत याचिका संख्या 8157/2014 श्री मुशे खॉन बनाम् राजस्थान राज्य एवं अन्य 97 याचिकाओं में पुनर्गठित पंचायतों व पंचायत समितियों के वार्डों को अंतिम रूप देने व अधिसूचित करने पर स्थगन आदेश दिनांक 20.11.2014 जारी किया है। इस स्थगन आदेश को ध्यान में रखते हुए आयोग के उपरोक्त पत्र दिनांक 17.11.2014 द्वारा निर्धारित मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की कार्यवाही आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है।


(सत्यप्रकाश बसवाल)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:— एफ. 6(1)(1)/पंचा/रानिआ/2014/8801-03 दिनांक:— 22.11.2014
प्रतिलिपि:—

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) राजस्थान, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. श्री विकास वालिया, एड़वोकेट, वालिया हाऊस-737-बी/2, सी-रोड़ सरदारपुरा ओसवाल सामुदायिक केन्द्र के पीछे जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।


(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर